निर्देशिका

मुख्यमंत्री जन आवास

योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर **(EWS)** एव अल्प

आय वर्ग **(LIG)** फ्लैट्स का

विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– प.3( )जविप्रा/सं.आ./एएचपी/2019/डी– 151 दिनांक : 13/9/2019

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1ए, के अन्तर्गत भूखण्ड/आवास एवं प्रावधान 3ए, 3बी के अन्तर्गत आवासों का आवंटन उक्त पॉलिसी के अ. .ार निजी विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन के 60 दिवस में आवेदन पत्र आमंत्रित कर जरिये लॉटरी आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 209 दिनांक 18.08.2017 से खातेदार/निजी विकासकर्ताओं द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में जविप्रा के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने बाबत् पॉलिसी के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित जोन उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। विकासकर्ताओं द्वारा प्रावधान 1ए, 3ए,3बी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार से आवेदन पत्र आमंत्रण करने हेतु समाचार पत्रों में जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में समरूपता रहें, इसके लिए निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में निजी विकासकताओं द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जारी की जानी वाली विज्ञप्ति का प्रारूप न्यूनतम साईज 10 X 8 स्क्वायर सेन्टीमीटर होगा एवं विज्ञापन में न्यूनतम 8 का फोन्ट साईज रहेगा। विज्ञापन का प्रारूप परिशिष्ठ 'अ' पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ईडब्लयूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) भूखण्ड/फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन हेतु आदर्श निर्देशिका भी तैयार कर दी जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विकासक. ्र द्वारा स्वंय की वैबसाइट, कार्यालय नोटिस बोर्ड अथवा आवेदन पुस्तिका इत्यादि में जैसी भी स्थिति हो इसका उपयोग कर सकते है।

उक्त मॉडल निर्देशिका को जविप्रा की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है ताकि सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकें। लेखाधिकारी (स्कीम योजना), वित्त शाखा के संयोजकत्व में बनाई गयी तीन सदस्य कमेटी हर तीन माह पश्चात उक्त आदर्श निर्देशिका की समीक्षा कर निर्देशिका को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(अर्चना सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, जविप्रा, जयपुर।
4. पी.डी. रूडसिंको, जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
2. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम, द्वितीय, वित्त, आयोजना, विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (प्रशासन, पूर्व, पश्चिम, पुनर्वास, भूमि, पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
5. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय, सिस्टम मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–1 से 14, पीआरएन–साउथ–I,II, उत्तर–I,II, स्टोर, वाहन, प्रशासन, आर.एम.एण्ड सी., एस.एम.
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

(गिरिराज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)

रामकिशोर व्यास भवन ,इन्दिरा सर्किलजवाहर , लाल नेहरु मार्ग, जयपुर302004-

दूरभाष-(+91-141- 2560585); ईपीबीएक्स - 0141-2707626 एक्सटेंशन: (7113);

योजना का शुभारम्भः 25.01.2021	**आशियाना हाउसिंग लिमिटेड** 401, तृतीय तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर,	आवेदन की अन्तिम तिथिः 05.02.2021

योजना का नामः ''कावेरी अपार्टमेंट'' प्लांट नं. I-4 व I-5, ग्राम पीथावास, कालवाड रोड़, जिला जयपुर, राजस्थान जो कि आशियाना आमंत्रण के 5% BAR के एवज में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटस'' निर्मित किये जा रहे है जो

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना

क.स.	**विवरण**	**कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी**	**अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी**
1	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2020/1381	
2	योजना में फ्लैट् की संख्या	33	48
3	योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में)	380 (लगभग)	506, 604, 616, 632, 654 (लगभग)
4	आवंटन दर	1680/- (प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर)	
5	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	09.02.2021	
6	आवेदनकताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	10.02.2021 से 12.02.2021	
7	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की अवधि	15.02.2021 से 17.02.2021	
8	प्राप्त आपत्तियो के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की अवधि	18.02.2021 से 19.02.2021	
9	पत्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 25.02.2021., समय सुबह 11.30 बजे, स्थानः आशियाना हाउसिंग लिमिटिड, कार्यालय 401, तृतीय तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान	

योजना से संबंधित अधिक जानकारी, नियम एवं शर्ते इत्यादि वेबसाईट **www.ashianahousing.com** पर देखी जा सकती है

विकासकर्ता के हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) एव अल्प आय वर्ग एलआईजी (LIG) फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका

1. योजना का विवरणः

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवास योजना योजना का नामः ''**कावेरी अपार्टमेंट**'' प्लांट नं. I-4 व I-5, ग्राम पीथावास, कालवाड रोड़, जिला जयपुर, राजस्थान जो कि आशियाना आमंत्रण के 5% BAR के एवज में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटस'' निर्मित किये जा रहे है जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना :–

क्र.स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
1	रेरा पंजीयन क्रमांक	RAJ/P/2020/1381	
2	योजना में फ्लैट् की संख्या	33	48
3	योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में)	380 (लगभग)	506, 604, 616, 632, 654 (लगभग)
4	आवेदन करने की अवधि	25.01.2021 से 05.02.2021	
5	आवेदनकर्ता की सूची का प्रकाशन	09.02.2021	
6	आवेदनकताओं द्वारा वेबसाईट एवं कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि	10.02.2021 से 12.02.2021	
7	प्राप्त आवेदन के निस्तारण की अवधि	15.02.2021 से 17.02.2021	
8	प्राप्त आपत्तियो के निस्तारण पर लिये गये निर्णय के प्रकाशन की अवधि	18.02.2021 से 19.02.2021	
9	पत्र आवेदकों की लॉटरी तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 25.02.2021, समय सुबह 11.30 बजे, स्थानः आशियाना हाउसिंग लिमिटिड, कार्यालय 401, तृतीय तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर, 302015, राजस्थान	
10	विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता	आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, 401, तृतीय तल, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर–302015, राजस्थान	
12	वेबसाईट	www.ashianahousing.com	

13	संपर्क नं.	0141–4139999

सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में विकासकर्ता द्वारा करवाया जावेगा।

2. आवंटन की प्रक्रियाः–

2.1 प्रोविजन 1ए–लॉटरी से आवंटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षेत्रीय जोन–उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट् की लीजडीड जारी की जावेगी।

2.2 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।

2.3 राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

2.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

3. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :

3.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।

3.2 आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।

3.3 आवेदक स्वंय एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

3.4 जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में

आवेदक ने आवंटन करवाकर फ्लैट् का विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं है।

3.5 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 18(36)यूडीएच/एनएएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवेदक की वार्षिक आय, फ्लैट् का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई हैः—

क्र. सं.	विवरण		कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
	फ्लैट्	निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	न्यूनतम 380 वर्गफीट	न्यूनतम 506 वर्गफीट
		निर्मित कारपेट एरिया	अधिकतम 22.81 वर्गमीटर	अधिकतम 40.4 वर्गमीटर
1	योजना में फ्लैट् की संख्या		33	48
2	योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया		380 वर्गफीट (लगभग)	506 से 654 वर्गमीटर (लगभग)
3	(i) परिवार की प्रतिवर्ष की आय सीमा (रूपये)		3,00,000/— तक प्रतिवर्ष	3,00,001/— से 6,00,000/— तक प्रतिवर्ष
	(ii) फ्लैट् कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्गफीट		1680/— प्रति वर्गफीट (सुपर बिल्टअप एरिया पर)	
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट्		10000/—	20000/—

3.6 पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि दिनांक 25.01.2021 से प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4.00 बजे के मध्य (प्रत्येक रविवार के अवकाश को छोड़कर) दिनांक 05.02.2021 तक आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के ऑफिस, 401, तृतीय तल, अपैक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर में जमा कराना होगा।

3.7 इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण राशि श्रेणी अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक आवेदन से "**Kaveri Aptt unit of Ashiana Housing Ltd Master Coll A/C**" (जयपुर में देय) के नाम से जमा करानी होगी। जो कि आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के ऑफिस 401, तृतीय तल, अपैक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान में आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी।

3.8 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2019—20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की

सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

3.9 आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर की प्रति/फार्म 16 तथा पैनकार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

3.10 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नही होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

3.11 योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित फ्लैट् का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।

3.12 मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत निर्धारित दर 1200/– रू प्रति वर्गफीट (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.01.2020 के अनुसार पूर्व की दर रू 1600/– प्रति वर्गफीट मे 5 प्रतिशत की सालाना वृद्वि किये जाने पर) के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक का निर्धारित दर 1680/– रू प्रति वर्गफीट में से रूपये 50/– प्रति वर्गफीट संबंधित नगरीय निकाय एवं रूपये 50/– प्रति वर्गफीट संधारण मद मे रखी जावेगी। शेष राशि विकासकर्ता के पास रहेंगी।

3.13 जीएसटी एवं अन्य कर (Taxes) फ्लैट् के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा।

3.14 योजनाओ में आवेदन के लिए फ्लैट में विभिन्न श्रेणियो मे आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :–

<table>
<tr><th rowspan="2">राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी</th><th rowspan="2">अनु. जनजाति</th><th rowspan="2">अनु. जाति</th><th rowspan="2">विकलांग</th><th rowspan="2">अधिस्वीकृत पत्रकार</th><th colspan="3">सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)</th><th rowspan="2">अनारक्षित श्रेणी</th></tr>
<tr><th>शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित</th><th>सैनिक विकलांग</th><th>अन्य सैनिक</th></tr>
<tr><td>10%</td><td>6%</td><td>9%</td><td>5%</td><td>2%</td><td colspan="3">10%</td><td>58%</td></tr>
</table>

- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटो का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा
- राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्त कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियो को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नही होंगें।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियो को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थथल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदनपत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाणपत्र लगाया जाना आवश्यक है। (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।) (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

  (द) निर्मित आवासो में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओ का विवरण निम्न प्रकार हैः–

विवरण	कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी	अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया	380 वर्गफीट (लगभग)	506 से 654 वर्गमीटर (लगभग)
निर्मित कारपेट एरिया	अधिकतम 22.81 वर्गमीटर	अधिकतम 40.4 वर्गमीटर

- निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एव बालकानी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश पं. 18(36) नविवि/NAHP/2014 पार्ट दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार निर्धारित दर से बेचे जाने वाले सभी प्रावधानो में लिफ्ट् की सुविधा सम्मिलित की जाती है तो अधिकतम 50 ईकाईयो पर प्रति लिफ्ट के हिसाब से प्रस्तावित करने पर आवंटियो द्वारा विकासकर्ता को रू 75/— प्रति वर्गफीट की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः जिन परियोजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है, अतः लिफ्ट् सुविधा के प्रावधान हेतु उपरोक्तानुसार आवंटी अतिरिक्त लिफ्ट चार्ज देने के लिये बाध्य होगा।

4. आवेदन की सामान्य शर्तें:

4.1 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होंवे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व **स्वयं के नाम से** चालू स्थिति में हो। **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।**

4.2 लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैट्ों के लिए सफल होने पर उच्चत्तम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट् का आवंटन किया जावेगा।

4.3 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय—समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगें।

4.4 योजनाओ में उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी।

4.5 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एव ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।**

5. फ्लैट् के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दुः

5.1 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात लॉटरी से पूर्व आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चित होने के पश्चात ही आवेदन किया जावे।

5.2 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगें तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेंगी।

5.3 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

5.4 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।

5.5 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.सी. कोड इत्यादि देने पर) ।

5.6 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।

5.7 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

5.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्ो के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।

5.9 लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आंवटित फ्लैट् निरस्त कर आवंटित फ्लैट् का भौतिक कब्जा वापिस ले लिया जावेगा।

5.10 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि फ्लैट् आवंटन करवाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लैट् की कीमत जमा पश्चात भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट् का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।

5.11 सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जमा राशि बिना ब्याज निर्धारित रद्दकरण प्रभार काटकर लौटाई जाएगी। फ्लैट् रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत होगें।

- मूल आवंटन/मांग पत्र।
- बैंक विवरण की प्रति।
- आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रियाः

6.1 विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है जो आवंटित प्रक्रिया में भाग लेंगे एवं लॉटरी में उपस्थित रहेंगे।

6.2 योजना में फ्लैट् की लॉटरी निकालते समय कुल फ्लैट्स की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट् की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।

6.3 लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाणपत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर–अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट् का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी./आधारकॉर्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)
- आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।

- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2019–20 को प्रमाणपत्र (बिना कटौती के), (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
- आरक्षित फ्लैटों के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति यथा Govt. Employee/SC/ST/Handicap/Accredited Journalist/Soldier

6.4 विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे। मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में फ्लैट् की कीमत विकासकर्ता को जमा करवानी होगी।

6.5 पात्र आवेदन को निर्धारित राशि आवंटन–मांगपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में निर्धारित माध्यम चैक/बैंकड्राफ्ट/NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते में एक मुश्त जमा करानी होगी।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

7.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड में NEFT/चैक/बैंकड्राफ्ट के माध्यम से आवेदकों को सम्पूर्ण पंजीकरण राशि ड्रॉ के तीन माह के अन्दर बिना ब्याज के विकासकर्ता द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

8. अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :

8.1 फ्लैट् 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगें एवं फ्लैट् की लीजडीड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावेगी।

8.2 आवंटित फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् का आवंटन कम कब्जापत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।

8.3 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।

8.4 आवंटी को इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट् का भौतिक कब्जा विकासकर्ता द्वारा दिया जावेगा। आवंटनकर्ता इकरारनामा/लीजडीड पंजीयन की शर्तो से बाध्य रहेगा।

8.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पतिकर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

8.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित फ्लैट् का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लैट् का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।

8.7 आवंटन में प्राप्त फ्लैट् केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेंगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नही करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लधंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होगें।

8.8 आवासीय इकाई (फ्लैट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रो के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओ जैसे जीना, आहाते की दीवार, लिफ्ट, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियो की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमो का पालन किया जावेगा। रख रखाव का खर्चा सोसाईटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत् आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये राशि रू 2000/–, अल्प आय वर्ग के लिये 3000/– आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसाईटी के खाते में विकासकर्ता द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य मे सोसाईटी द्वारा नियमित रख–रखाव तथा सोसाईटी या मेंटीनेंस एजेंसी द्वारा जो भी मासिक मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई

जावेगी। सोसाईटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियो से समन्वय कर करवाया जायेगा।

8.9 यह कि उक्त सम्पूर्ण परियोजना में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी ब्लॉक का प्रवेश व निकास द्वार प्रथक है तथा इस ब्लॉक के कॉमन सुविधाऐ व मुख्य आवासीय परियोजनाओ की कॉमन सुविधा प्रथक है ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी ब्लॉक के आवंटी मुख्य परियोजना की सुख सुविधा मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेंगे और ना ही उनका उपयोग कर सकेंगे।

8.10 विकासकर्ता द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में परियोजना पर पानी की पेयजल आपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है अत आवंटियो द्वारा वर्तमान में विभाग की प्रचलित दर रूपये 42 प्रति वर्गफीट सकल निर्मित क्षेत्र के हिसाब से विकासकर्ता के यहॉ जमा करानी होगी। जो कि भविष्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जयपुर द्वारा जल आपूर्ति हेतु मांगपत्र राशि मांगपत्र जारी करने पर विकासकर्ता द्वारा यह राशि विभाग में जमा करवाई जाएगी।

8.11 फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि मे फ्लैट् मे निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियो को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।

8.12 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदको के लिए)

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....
आयु .... निवासी ....
....
शपथपूर्वक धोशणा करता/करती हूं कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर मे कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नही है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनीफाईड) निवासी हूॅ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूॅ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दॅूगा/दॅूगी।

(3) यह कि मैने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूॅ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मै प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने की स्थिती में मुझे आवंटित फ्लैट् निरस्त किया जा सकेंगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना मे विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/फ्लैट् मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नही हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूॅ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्व **भारतीय दण्ड सहिता (IPC)** अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनाकः

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जाति .... नवासी...ग्राम .... तहसील .... राज्य .... की स्वयं पति/पत्नी और आश्रितो की सकल मासिक आयं रू.. प्रतिमाह है व मेरा पैन नम्बर .... है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड सहिता(प्च्ब्) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदको के लिये)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम का/की कर्मचारी हूँ/है इनकी सकल मासिक आय रू .... प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

स्थान :
दिनाकः

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदको हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जाति ....
निवासी... जिला ....
सम्भाग ....राज्य .... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओ हेतु (आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नही होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि कि श्रीमान/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... (रैंक) ....
(नाम) .... (नम्बर) ....

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी. आई.एस.एफ. मे कार्यरत है। इनकी मासिक आय रू .... प्रतिमाह है।

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलो से सेवानिवृत हुए है तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये .... प्रतिमाह थी।

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रूपये .... प्रतिमाह थी। इन्होने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।

दिनाकः
स्थान :

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

<u>शपथ पत्र</u>

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)

कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट् हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....
आयु .... निवासी ....
शपथपूर्वक धोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट् हेतु एक मात्र ही आवेदन कर रह रहा/रही हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य में उक्त अनारक्षित कोटे से फ्लैट् आवंटन नही किया है।

(2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार कि किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नही किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती .... ने एवं हमारे परिवार कि किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डो अथवा फ्लैट्स मे से कोई आरक्षित भूखण्डो अथवा फ्लैट् आवंटित कराया है

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

धोषणा

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः
स्थान :

<u>शपथ पत्र</u>

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट् हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....

आयु .... निवासी ....

शपथपूर्वक धोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता/रखती हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट् आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी मे आरक्षित फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यो के रूप मे मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा फ्लैट् हेतु आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे से मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावें।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे मे आरक्षित कोटे मे आरक्षित श्रेणी मे रियायती दर पर आज तक कोई फ्लैट् आवंटित नही किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

धोषणा

मै .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी ....
.... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग है।

स्थानः प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांकः के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

अधिस्वीकृत पत्रकारो के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी ....
.... तहसील .... जिला ....
अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थानः निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांकः अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।